

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक- जुलाई, 2026

विषय- प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के समस्त रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021 दिनांक 25 जुलाई, 2021 तथा पंचायती राज निदेशालय के पत्र संख्या-6/2222/2018-6/208-आ/2024-25 दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2. विभाग द्वारा प्राप्त अद्यतन सूचनाओं के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 2259 पद रिक्त हैं। इन पदों का रिक्त होना ग्राम सचिवालयों की प्रभावशीलता तथा नागरिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता के दृष्टिगत अत्यंत गंभीर विषय है। पंचायतीराज विभाग द्वारा समय-समय पर रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया में अपेक्षित गति लाने तथा ग्राम सचिवालयों को पूर्ण क्षमता से संचालित किए जाने हेतु समस्त जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा है। इसके उपरान्त भी अनेक जनपदों में पर्याप्त संख्या में पद रिक्त बने हुए हैं, जो शासन की ग्राम पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं एवं सेवा प्रदायगी को प्रतिकूल रूप

से प्रभावित कर रहे हैं।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के समस्त रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे ग्राम सचिवालयों का प्रभावी संचालन, विकास योजनाओं, डिजिटल ग्रामीण प्रशासन की सुदृढ़ता तथा ग्रामीण जनता को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक : जनपदवार रिक्त पदों की सूची।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) 30प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ कि रिक्त पदों पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कराये।

भवदीय,

(राजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।